>

Title: Need to provide adequate price for paddy in the country by the Central Government.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण और लोकहित के प्रश्न को यहां रखने का मुझे मौका दिया है।

केंद्र सरकार ने चालू वर्ष में धान का न्यूनतम मूल्य तेरह सौ रूपए से अधिक प्रति क्विंटल तय किया है। किसान आशान्वित थे कि वे अपनी धान की पैदावार को राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित संस्थाओं या भारतीय खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों पर बिक्री कर तय राशि प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय पैमाने पर धान की अधिप्राप्त त्वरित गति से की जा रही है। हरियाणा और पंजाब में तो तय लक्ष्य से भी अधिक धान की खरीद हो चुकी है। बिहार राज्य में, विशेष कर धान उत्पादन वाले जिले बक्सर, रोहतास, कैमूर तथा भोजपुर में आज तक न तो राज्य सरकार का और न ही केन्द्र सरकार का एक भी क्रय केन्द्र खुल पाया है। किसानों की आधे से अधिक फसल बिक्री लायक तैयार है तथा 10-15 दिनों में धान सत-प्रतिशत बिक्री लायक तैयार हो जाएगी। ऐसी हालत में किसान मायूस है तथा बिचौलियों को 700-800 रूपये प्रति क्विंटल धान बिक्री करने के लिए मजबूर हैं अर्थात केन्द्र सरकार द्वारा तय राशि का 40 प्रतिशत भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से धान के लिए लगाई गई पूंजी भी लौटने की संभावना नहीं है। गत वर्ष भी किसानों को भारी हानि उठानी पड़ी थी। इस वर्ष तो लगता है कि किसान सदा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। गत वर्ष की अपेक्षा धान की फसल अच्छी है क्योंकि सुखाड़ के बावजूद सरकार के द्वारा तय राशि पर खरीद के आश्वासन पर किसानों ने पूंजी निवेश किया था जो भारी घाटे का कारण बन गया है।

महोदय, किसानों को खेती के लिए पूंजी चाहिए। पूंजी धान की बिक्री से ही प्राप्त होना है। बिक्री पर घाटा और गेहूं की खेती के लिए पूंजी का अभाव अर्थात किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। सरकार के गोदामों में खाली स्थान नहीं है तथा गत वर्ष का अधिप्राप्त का बिहार के गोदाम में 40 प्रतिशत भी धान-चावल भारतीय खाद्य निगम के द्वारा नहीं लिया जा सका है। चारों तरफ से व्याप्त आराजकता के कारण बिहार राज्य के किसानों में भारी क्षोभ व्याप्त है तथा खेती के लिए असुरक्षित वातावरण के चलते निराश हैं।

महोदय, मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि ऐसी हालत में किसानों को केन्द्र सरकार आगे आ कर भरोसा दे कि किसानों की धान की पैदावार की कीमत दी जाएगी जिससे चालू रबी की फसल पैदा करने के लिए उनके हाथ में पूंजी होगी और वे ऋणग्रस्त नहीं हो पाएंगे।